



प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक:- 12.06.2021

महोबा पुलिस

सोशल मीडिया सेल



थाना कबरई पुलिस टीम ने वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार कब्जे से अवैध तमंचा व जिन्दा कारतूस बरामद...।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के निर्देशन पर जनपदीय पुलिस द्वारा अपराध पर अंकुश एवं अपराधियों की गिरफ्तारी अभियान के दृष्टिगत क्षेत्राधिकारी नगर श्री रामप्रवेश राय के पर्यवेक्षण में चलाये जा रहे वांछित/वारण्टी/अवैध शस्त्र धारक अपराधियों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में दिनांक 11.06.2021 को थानाध्यक्ष कबरई श्री दिनेश सिंह द्वारा गठित पुलिस टीम ने अभियान में शामिल होकर थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 106/21 धारा 323/308 भादवि मे वांछित चल रहे अभियुक्त विजय सिंह पुत्र मुन्ना सिंह उर्फ करन सिंह उम्र 27 वर्ष को ग्राम सिंघनपुर बघारी पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया, जिसकी जामा तलाशी से 01 अदद देशी तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज बरामद हुये, बरामदगी के आधार पर थाना हाजा पर मु0अ0सं0 174/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत करते हुये अभियुक्त को मां0 न्यायालय पेशी हुते भेजा गया ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. उ0नि0 पुरुषोत्तम विश्वकर्मा
2. कां0 दीपेश कुमार
3. कां0 इन्द्रपाल चौहान

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण...

विजय सिंह पुत्र मुन्ना सिंह उर्फ करन सिंह उम्र 27 वर्ष निवासी ग्राम सिंघनपुर बघारी थाना कबरई जिला महोबा





प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक:- 12.06.2021

महोबा पुलिस

सोशल मीडिया सेल



थाना कुलपहाड़ पुलिस टीम ने अवैध शराब के साथ अभियुक्त को किया गिरफ्तार...

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के निर्देशन पर जनपदीय पुलिस द्वारा चलाये जा रहे अवैध शराब के निर्माण व बिक्री के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान व इसमें लिप्त अपराधियों के गिरफ्तारी अभियान के क्रम में दिनांक 11.06.2021 को क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री तेज बहादुर सिंह के निकट पर्यवेक्षण में तथा थाना कुलपहाड़ **SHO** श्री श्याम प्रताप पटेल द्वारा गठित वरिष्ठ उ0नि0 देवेन्द्र कुमार मिश्रा के नेतृत्व में टीम ने अवैध शराब बेचते हुये 01 नफर अभियुक्त (1) बच्चा रैकवार पुत्र भजोला उम्र करीब 65 वर्ष को घटनास्थल बच्चा रैकवार की दुकान के सामने बहद ग्राम मुढ़ारी थाना कुलपहाड़ जनपद महोबा से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से 01 अदद प्लास्टिक के थैले में 28 अदद क्वार्टर देशी ठेका शराब नाजायज बरामद की गयी जिस पर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना हाजा पर मु0अ0सं0 141/2021 धारा 60 **EX ACT** का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण...

बच्चा रैकवार पुत्र भजोला उम्र करीब 65 वर्ष निवासी ग्राम मुढ़ारी थाना कुलपहाड़ जनपद महोबा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण...

1. वरिष्ठ उ0नि0 देवेन्द्र कुमार मिश्रा
2. कां0 दयाशंकर
3. कां0 आमिर खान

बरामद माल का विवरण...

01 अदद प्लास्टिक के थैले में 28 अदद क्वार्टर देशी ठेका शराब(दिल से) नाजायज





प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक:- 12.06.2021

महोबा पुलिस

सोशल मीडिया सेल



थाना कोतवाली महोबा पुलिस टीम ने अवैध शराब के साथ अभियुक्त को किया गिरफ्तार...

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के निर्देशन पर जनपदीय पुलिस द्वारा चलाये जा रहे अवैध शराब के निर्माण व बिक्री के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान व इसमें लिप्त अपराधियों के गिरफ्तारी अभियान के क्रम में दिनांक 11.06.2021 को क्षेत्राधिकारी नगर श्री रामप्रवेश राय के पर्यवेक्षण में तथा **SHO** कोतवाली महोबा श्री बलराम सिंह द्वारा गठित टीम ने अभियान अवैध शराब की रोकथाम के दौरान अभियुक्त दिलीप राजपूत पुत्र रामकृपाल राजपूत निवासी मु0 शेखूनगर थाना कोतवाली महोबा जिला महोबा को लौड़ी तिगैला थाना कोतवाली महोबा से गिरफ्तार किया जिसके कब्जे से 25 क्वार्टर देशी शराब अवैध बरामद करते हुये जिस पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना हाजा पर मु0अ0सं0 278/2021 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत करते हुये नियमानुसार कार्यवाही सम्पादित की गयी।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 उपेन्द्र प्रताप सिंह थाना कोतवाली जिला महोबा
2. हे0कां0 अनिल यादव

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण -

दिलीप राजपूत पुत्र रामकृपाल राजपूत निवासी मु0 शेखूनगर थाना कोतवाली महोबा जिला महोबा

बरामदगी -

25 क्वार्टर अवैध देशी शराब बरामद होना।





प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक:- 12.06.2021

महोबा पुलिस

सोशल मीडिया सेल



थाना कबरई पुलिस टीम ने वांछित अभियुक्तों को किया गिरफ्तार...

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के निर्देशन पर जनपदीय पुलिस द्वारा अपराध पर अंकुश एवं अपराधियों की गिरफ्तारी अभियान के दृष्टिगत क्षेत्राधिकारी नगर श्री रामप्रवेश राय के पर्यवेक्षण में चलाये जा रहे वांछित/वारण्टी/अवैध शस्त्र धारक अपराधियों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में आज दिनांक 12.06.2021 को थानाध्यक्ष कबरई श्री दिनेश सिंह के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने अभियान में शामिल होकर थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु०अ०सं० 175/21 धारा 379/411 भादवि व 4/21 खान एव खनिज अधिनियम एवं 3/5 लोक सम्पत्ति क्षति निवारण अधिनियम मे नामजद वांछित अभियुक्तगण क्रमशः 1. राजेश सिंह पुत्र गोली सिंह उर्फ गोरेलाल उम्र 35 वर्ष को चौधरी मोटर्स के पास स्थित हाते के अंदर बनी कोठरी कस्वा कबरई से तथा 2. श्यामानुज पुत्र रजोना विश्वकर्मा उम्र 19 वर्ष 3. संजय शुक्ला पुत्र श्री रामआसरे उम्र 35 वर्ष को नवीन गल्ला मण्डी के सामने कानपुर रोड पर कस्वा कबरई से गिरफ्तार किया गया व बाद आवश्यक कार्यवाही सम्पादित करते हुये अभियुक्तगणों को मां० न्यायालय पेशी हेतु भेजा गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण...

1. राजेश सिंह पुत्र गोली सिंह उर्फ गोरेलाल उम्र 35 वर्ष निवासी विशाल नगर थाना कबरई जनपद महोबा
2. श्यामानुज पुत्र रजोना विश्वकर्मा उम्र 19 वर्ष नि० छापर थाना तिन्दवारी जिला बांदा
3. संजय शुक्ला पुत्र श्री रामआसरे उम्र 35 वर्ष निवासी मु० सुभाष नगर थाना कोतवाली नगर महोबा जनपद महोबा

गिरफ्तार करने वाली संयुक्त पुलिस टीम का विवरण...

1. थानाध्यक्ष कबरई श्री दिनेश सिंह
2. उ०नि० सुरेन्द्र शुक्ला
3. कां० कृष्णचन्द्र
4. कां० दीपक कुमार मौर्य
5. कां० अनिल कुमार
6. ज्ञानेन्द्र कुमार सिंह
7. कां० जयप्रकाश यादव
8. म०कां० प्राची





प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक:- 12.06.2021

महोबा पुलिस

सोशल मीडिया सेल



थाना कबरई पुलिस टीम ने 01 किलो, 200 ग्राम अवैध सूखे गांजे के साथ अभियुक्त को किया गिरफ्तार...।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के निर्देशन पर जनपदीय पुलिस द्वारा चलाये जा रहे मादक पदार्थों की बिक्री एवं तस्करी पर रोक लगाने तथा अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 12.06.2021 को क्षेत्राधिकारी नगर श्री रामप्रवेश राय के पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष कबरई श्री दिनेश सिंह के द्वारा गठित टीम ने मुखबिर खास की सूचना पर गोविन्द दास उर्फ पप्पू पुत्र खेमचन्द्र नाई उम्र 50 वर्ष को मु० किदवईनगर कस्बा व थाना कबरई से गिरफ्तार किया गया, जिसकी जामा तलाशी से 1 किलो 200 ग्राम सुखा गांजा नाजायज बरामद हुआ, बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 177/21 धारा 8/20 **NDPS Act** पंजीकृत कर अभियुक्त को मां० न्यायालय पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण...

गोविन्द दास उर्फ पप्पू पुत्र खेमचन्द्र नाई उम्र 50 वर्ष नि०मु० किदवई नगर थाना कबरई जनपद महोबा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम...

1. उ०नि० महेन्द्र सिंह तोमर
2. हे०का० उमेन्द्र कुमार शुक्ला
3. रि०कां० अंकित कुमार
4. कां० धार्मेन्द्र यादव





प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक:- 12.06.2021

महोबा पुलिस

सोशल मीडिया सेल



क्षेत्राधिकारी चरखारी द्वारा पैदल गस्त के दौरान की गई संदिग्धों की चेकिंग एवं लोगो से **वीकेंड **लॉकडाउन** का पालन करने की अपील**

उ0नि0 नीलम यादव प्रभारी महिला पुलिस चौकी, चरखारी मय फोर्स द्वारा भी पैदल गस्त करके क्षेत्र की बालिकाओं/महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरुक करते हुए **वीकेंड लॉकडाउन** का पालन करने की अपील की गई।

यातायात नियमों के उल्लंघन पर **33 ई-चालान व** कोविड-19 नियमों के उल्लंघन पर **24 व्यक्तियों से 3300/-रु0 शुल्क वसूला गया।**



आज दिनांक 12.06.2021 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के कुशल निर्देशन में क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री उमेश चन्द्र मय थाना चरखारी पुलिस बल के साथ थाना क्षेत्र के मुख्य बाजार आदि जगहों पर पैदल गस्त करके संदिग्धों की चेकिंग की गई व कोरोना संक्रमण के प्रति लोगों को जागरुक करते हुए मास्क का प्रयोग, सोशल डिस्टेंसिंग आदि नियमों का पालन करने की अपील की गई। इस दौरान लोगों से **वीकेंड लॉकडाउन (शुक्रवार शाम 07.00 बजे से सोमवार सुबह 07.00 बजे तक)** का पालन करने की अपील की गई।





प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक:- 12.06.2021

महोबा पुलिस

सोशल मीडिया सेल



35 लीटर अवैध शराब सहित अभियुक्ता को पनवाड़ी पुलिस ने किया गिरफ्तार



आज दिनांक 12.06.2021 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के कुशल नेतृत्व में चलाये जा रहे अवैध शराब की बरामदगी अभियान के तहत प्र०नि० पनवाड़ी विजय कुमार सिंह द्वारा गठित टीम ने अभियुक्ता रानी कबूतरा पत्नी स्व० मान सिंह कबूतरा निवासनी ग्राम छतेसर थाना पनवाड़ी जनपद महोबा को **35 लीटर कच्ची शराब नाजायज सहित गिरफ्तार किया गया** । जिसके विरुद्ध थाना हाजा पर **मु.अ.सं. 122/2021 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत** कर विधिक कार्यवाही की गई ।

गिरफ्तार अभियुक्ता का विवरण:-

रानी कबूतरा पत्नी स्व० मान सिंह कबूतरा निवासनी ग्राम छतेसर थाना पनवाड़ी जनपद महोबा ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

- 1- उ०नि० श्री कमलेश कुमार
- 2- का. विमल कुमार
3. का मुनीष कुमार
4. म.कां. रुमन यादव
5. म.कां. शालिनी तिवारी